

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

त उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना
 दिम्मत सिंह बनाम देवीमा कौठ
 डाका 188/189 R.A. नं० 08 सन् 2023

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|
| <p>9-1-23 काठ महे काठ पत्र वकील काठी ने पेश किया कि काठ है। प्रकृतिगत कारणों से काठ है। अलग तलक है। अलग तलकी है। 13.8.23 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.</p> | |
| <p>13-2-23 काठ महे काठ पत्र वकील काठी ने पेश किया कि काठ है। प्रकृतिगत कारणों से काठ है। अलग तलक है। अलग तलकी है। 16.5.23 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.</p> <p>18.8.23 काठ महे पत्र वकील काठी ने पेश किया कि काठ है। प्रकृतिगत कारणों से काठ है। अलग तलक है। अलग तलकी है। 16.5.23 को पेश है।</p> | <p style="text-align: center;">जो पेश दिम्मत सिंह</p> |

13.2.23

नाम उपखण्ड के गौरी में कमीशन
 उपखण्ड के गौरी में कमीशन
 प्रमाणित करने के लिये
 दिनांक 13.2.23 को

उपखण्ड अधिकारी
 गौरीगढ़

28.2.23

आज गौरी उपखण्ड के
 गांव के पास पत्रावली
 पत्रावली के कुछ काम
 नेट प्रेस के लगे
 के काम है। काम आरंभ
 की नेट प्रेस में लगे
 निगलाने के पत्रावली
 काम शुरू करे गए हैं
 काम की गति कुछ संतोष
 देव गति है।

उपखण्ड अधिकारी
 गौरीगढ़ (अलग) राज